...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीताराम बनाम गोविन्दसहाय	
	तमाला एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी गण को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करने, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम कालोता तहसील कुण्डल जिला-दौसा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 756 रकबा 0.77 हे० भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो एवं मूल वाद के संलग्न हो।	
	उपखण्ड अधिकारी सैंथल	
	(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सैंथल, दौसा — सत्यमेव जयते)	